राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 2306/2010/जयपुर
अपील संख्या 2307/2010/जयपुर
अपील संख्या 2308/2010/जयपुर
अपील संख्या 2309/2010/जयपुर

मैसर्स एच.पी. इण्डिया सेल्स प्रा.लि.
जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,जोन–द्वितीय,जयपुर — प्रत्यर्थी

अपील संख्या 548/2011/जयपुर
वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,जोन–द्वितीय,जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एच.पी. इण्डिया सेल्स प्रा.लि.
जयपुर — प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित :

श्री नरेन्द्र सिंघवी
अभिभाषक — अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक 24.01.2017

निर्णय

उपरोक्त पांचों अपीलों में से अपील संख्या 2306 से 2309/2010/जयपुर अपीलार्थी व्यवहारी एवं अपील संख्या 548/11/जयपुर प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 105, 103, 112 एवं 104/अपील्स/।।/आरवीएटी/जयपुर/वि.वृत/2010–11 पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 09.09.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 26, 55 एवं 61 के तहत् वर्ष 2008–09, 2009–10 के निर्धारण पृथक–पृथक आदेश दिनांक 30.12.2010, 22.02.2010 19.03.2010 एवं 23.06.2010 के जरिये निम्न तालिका के अनुसार अन्तर कर, अनुवर्ती ब्याज व शास्ति आरोपित की है, में से कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है। यथावत रखे गये कर एवं ब्याज को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपास्त की गई शास्ति कर निर्धारण वर्ष 2008–09 में आरोपित शास्ति रू. 1,06,73,182/–को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील संख्या 548/2011 में विवादित किया गया है :–

अ .सं.	कर नि.वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
2306/10	2008–09	53,36,591/–	8,60,341/–	1,06,73,182/–
2307/10	2009–10	18,74,471/–	1,68,702/–	–
2308/10	2009–10	13,83,727/–	96,961/–	–
2309/10	2009–10	37,74,880/–	2,26,493/–	–

चूंकि पांचों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु समान हैं। अतः पांचों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2009 को किया गया था, जिसमें पाया गया कि व्यवहारी द्वारा H.P. कम्पनी के प्रोडक्ट Multi functional Devices (जिसे आगे **'MFD'** कहा जायेगा) का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया जा रहा था। निर्धारण अधिकारी ने पाया कि उक्त MFD, आलौच्य अवधियों में अधिनियम की अनुसूची–IV के क्रम संख्या 65 अनुसार पार्ट–ए की प्रविष्टि संख्या 03. Computer system and peripherals, computer printers and electronic diaries., की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, जिस पर अधिनियम की अनुसूची–V अनुसार वैट की 12.5 प्रतिशत की दर देय है, जबकि व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत ही वसूल किया जा रहा है। अतः निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 हेतु अधिनियम की धारा 26, 55 व 61(1) के तहत् पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश **दिनांक** 30.12.2010, 22.02.2010 19.03.2010 एवं 23.06.2010 **को** पारित कर, उपरोक्त तालिकानुसार अन्तर कर, अनुवर्ती ब्याज एवं शास्ति आरोपित करते हुए आदेश पारित किये हैं। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपीलों कर, अनुवर्ती ब्याज को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार कर शास्ति को अपास्त अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की हैं। यथावत रखे गये कर एवं ब्याज के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से एवं अपास्त की गई शास्ति के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपरोक्त अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को अविधिक बताते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा MFD पर अधिनियम की अनुसूची–IV की पार्ट–ए की क्रम संख्या 65 के अन्तर्गत प्रविष्ठि क्रम संख्या 3 के अनुसार विधिक रूप से 4 प्रतिशत से कर वसूल किया जा रहा है तथा व्यवहारी ने उसका कोई पण्यावर्त

लेखा–पुस्तकों से छिपाया नहीं है, इसलिए करापवंचन का प्रकरण नहीं होने के बावजूद क्षेत्राधिकार अधिग्रहण कर करारोपण करना अविधिक है। ऐसे प्रकरणों में प्रतिकरापवंचन शाखा के अधिकारियों का क्षेत्राधिकार नहीं है, अतः पारित आदेश अपास्त योग्य हैं।

अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी H.P. के MFD की बिक्री करता है, जो कि अधिनियम की अनुसूची–IV की वर्गीकृत श्रेणी 65-Part-A की प्रविष्ठि संख्या 03 "Computer system and peripherals, computer printers and electronic diaries." (अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/ 2005–158 दिनांक 31.3.2006) अनुसार के अधीन 4 प्रतिशत की दर से कर देयता रखती है।

बहस को आगे बढ़ाते हुए अभिवाक् किया कि Computer & Computer Peripherals/Printers को वेट अधिनियम के तहत परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन Information Technology Act, 2000 की धारा 2(1) अनुसार –

> **"...'Computer & Computer peripherals/printers' means any electronic, magnetic, optical or other high-speed data processing device or system which performs logical, arithmetic, and memory functions by manipulations of electronic, magtnetic or optical impulses and includes all input, output, processing, storage, computer software, or communication facilities which are connected or related to the computer in a computer system or computer network."**

अग्रिम कथन किया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010–11 में जरिए अधिसूचना संख्या एफ.12(22)एफडी/टैक्स/10–83 दिनांक 9.3.2010 को MFD को अनुसूची–IV के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणी 65 पार्ट–ए की प्रविष्ठि संख्या 3 में ''कमप्यूटर प्रिन्टर्स' के स्थान पर कमप्यूटर प्रिन्टर्स इक्सक्लूडिंगू मल्टीफक्शनल डिवाईस'' के प्रतिस्थापित किया है, जिसका तात्पर्य है कि इस तिथि तक MFD इस प्रविष्ठि में अर्न्तनिहित होने से इस पर 4 प्रतिशत की दर से ही कर दायित्व था, व्यवहारी द्वारा कर भी तदनुरूप ही जमा कराया गया है।

अग्रिम कथन किया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अतिरिक्त आयुक्त (विधि) के **मैसर्स रीको इण्डिया लिमिटेड में दी गयी रूलिंग की भी विवेचना की है** और अवधारण निर्णय **(2006) 11 आर.एस.टी.आर.–जे–202 जिसकी कर बोर्ड ने (2007) 19 टैक्स अपडेट 342** में पुष्टि की है। जबकि वेट अधिनियम की धारा 36 के तहत पारित उक्त आदेश में कर दर अवधारण हेतु Multi-functional Digital Copier Machine विवादित थी, जबकि अपीलार्थी के प्रकरण में MFD विवादित है, जो कि वेट अधिनियम की अनुसूची–IV अनुसार 4 प्रतिशत से कर योग्य हैं।

अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा MFD की समस्त खरीद मैसर्स ह्यूलैट पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0 से की गई है। मैसर्स ह्यूलैट पैकर्ड

इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0 के किये गये सर्वेक्षण के आधार पर MFD पर अन्तर कर 8.5 प्रतिशत की दर से वसूल किया जा चुका है। इसलिए पुनः अपीलार्थी व्यवहारी पर 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित करना विधिसम्मत नहीं है।

अग्रिम कथन किया कि MFD पर उसके Predominant उपयोग के आधार पर कर देयता का निर्धारण किया जाना चाहिये। तर्क के समर्थन में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकरण दिल्ली के निर्णय **मैसर्स जिरोक्स मोदीकॉर्प लि0 (2001) 130 ई.एल.टी. 165** अनुसार का उल्लीख किया गया जिसमें MFD को Computer/Computer Peripherals/Printer के तहत माना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स जीरोक्स इण्डिया लिमिटेड बनाम् कमिश्नर कस्टमस,मुम्बई के प्रकरण में पारित निर्णय **2010 (260) ई.एल.टी. 161** में अंकित किया है कि :–

"Heading 84.71 and 84.79 of the Customs Tariff Act at the material point of time says that,-

"**84.71** Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data on to data media in coded form and machines for processing such data not elsewhere specified or included."

"**8471.60.** Inputs or output units whether or not containing storage units in the same housing."

"**84.79:** Machines and mechanical appliances having individual functions not specified or included elsewhere in this Chapter."

It is not in dispute that the Multi-Functional Machines in question, Xerox Regal 5799 has about 85% of the its total parts and components along with manufacturing cost allocated to printing, as does 74% of the Xerox XD155df model. This clearly shows that the printing function emerges as the principal function and gives the Multi-Functional Machines its essential character. Having such a nature, it also clearly meets the three-fold requirement of chapter note 5(B), as it is to be used principally in ADPM, it is connectable to the Central Processing Unit, and it is able to accept data in a form (codes or signals) which can be used by the system. Further, there would be no application of chapter note 5(E) as correctly pointed out by the leaned counsel for the appellants, as the Multi-Functional Machines are presented independently. Moreover, since predominant components are relating to printing function, chapter note 5(D) also becomes relevant which includes printers under heading 84.71. Based on the nature of the functions they perform, the Multi-Functional Machines would serve as input and output devices of an ADPM (computer) and thus serve as unit of an ADPM, which on a reading of

chapter note 5(C), clearly classifies them as falling under heading 84.71.60 of the Act."

शीर्ष न्यायालय के इस निर्णय के आधार पर कथन किया कि बिक्री कर अधिकारियों का यह मानना उचित नहीं है कि यह निर्णय केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की प्रविष्ठि के वर्गीकरण के आधार पर किया गया है। क्योंकि उत्पाद शुल्क के तहत संदर्भित जिन्स कों बाजार में उक्त वस्तुओं का व्यवहार करने वालों की समझ के अनुसार ही वर्गीकरण किया जाता है। इसलिए यह निर्णय सभी न्यायालयों पर लागू होता है। जैसा कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने **भारती एयरटेल लिमि. (2011) 04 आर.जी.एस.टी.आर.–डी–227** में उक्त सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए विवेचना की है कि :–

" Thus, it is clear that once the Apex Court declares the law, not only the High Court and other Courts in the country are bound by the same, but also all the authorities such as Tribunal, *Quasi-judicial* functionaries, State and its instrumentalities are bound by such law declared by the Apex Court and they are under an obligation to give effect to the said law. This aspect has been completely lost sight of by the State, Committee constituted by State Legislature, the Revenue and the Assessing Authority. Therefore it is obvious that there is a deliberate attempt on the part of the State and its officials not to accept the judgment of the Apex Court, which has attained finality and have over looked the effect of such judgment as declared in Article 141 of the constitution of India, which provides that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all the Courts within the territory of India, Instead of giving effect to the law declared by the Apex Court, they employed their entire official machinery to over reach the said judgment, misinterpreted the said judgment and tried to levy tax without the authority of law. This conduct, at any rate, cannot be countenanced by the Court of law."

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने Computer Printer including MFD को अनुसूची–IV के पार्ट–ए की प्रविष्टि संख्या 3 अनुसार 4 प्रतिशत से कर योग्य होने को न्यायोचित बतलायातथा तर्क दिया कि MFD 4 प्रतिशत से करयोग्य नहीं होना प्रमाणित करने का भार विभाग पर है एवं विभाग इसे प्रमाणित नहीं कर पाया है। अपने तर्क के समर्थन में **(1996) 10 एस.सी.सी. 413 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम गरवारे नायलोन्स लिमिटेड** को उद्धरित किया है। कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मैसर्स डनलप इण्डिया बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ए.आई.आर. 1937 एस.सी. 597**में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :–

"When an article has by all standards a reasonable claim to be classified under an enumerated item in the tariff schedule, it will against very principle of classification to deny it the parentage and consign it to an orphanage of the residuary clause."

अन्य न्यायिक निर्णय **(2007) 74 वी.एस.टी. 545 (एस.सी.) नूरी मैनूर मिल, (2007) 8 वी.एस.टी. 661 (एस.सी.) ट्रूटफ सेफ्टी ग्लास इण्डस्ट्रीज, (2008) 14 वी.एस.टी. 259 (एस.सी.) मौरी यीस्ट इण्डिया प्रा0 लि0,(2006) 145 एस.टी.सी. 625 (एस.सी.), हिन्दुस्तान पोल्स कॉर्पोरेशन** भी उद्धरित किये हैं। **(2006) 145 एस.टी.सी. 625** के निर्णय में उद्धरित किया है कि :–

"It is settled law that when one particular item is covered by on specified entry then the Revenue is not permitted to travel to the residuary entry. The residuary entry is meant only for those categories of goods which clearly fall outside the ambit of specified entries."

उन्होंने उक्त कथन के आधार पर आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखने जाने के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में कथन किया किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर योग्य विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है:–

(i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)

(ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239 (राज.)

(iii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस.टी.सी. 238 (राज.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल.एन.टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226/2009 से 229/2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 (राज.)

(v) मैसर्स लार्ड वैंकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.)

(vi) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी. एस.टी. 249 (सु.को.)

(vii) सहायक आयुक्त, उदयपुर बनाम मैसर्स कॉटेज इण्डस्ट्रीज एक्सपोजिशन लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 289 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

(viii) मैसर्स ह्यूलेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर–25 टैक्स अपडेट 189[आर.टी.बी.(डी.बी.)]
(ix) मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर–7 टैक्स अपडेट 43 [आर.टी.बी. (डी.बी.)
(x) मैसर्स रेबेनसन ऑप्टीक्स लि. भिवाडी बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, भिवाडी, अपील क्रमांक 1437/2009 से 1439/2009/अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।
(xi) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर बनाम् मैसर्स रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड, बी–139,रोड़ नम्बर–12, वी.के.आई.ए.,जयपुर अपील क्रमांक 2070 से 2073/2010/जयपुर, 1305 से 1308/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 15.09.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।
(xii)मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ. एन्टीइवेजन, जोन–तृतीय, जयपुर अपील क्रमांक 332 से 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 19. 07.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति के बिन्दु पर पारित आदेश पूर्णतः विधिक एवं उचित है । जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है ।

उन्होंने अपने उक्त तर्कों के आधार पर प्रस्तुत अपीलें को स्वीकार करने एवं विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.12(22)एफडी/टैक्स/10–83 दिनांक 9.3.2010 में भी MFD को अनुसूची–IV की वर्गीकृत श्रेणी 65 में पार्ट–ए की प्रविष्ठि संख्या 3 से MFD को इक्सक्लूड(प्रथम) किये जाने के कारण ही अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। उनका कथन है कि राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसस इनग्राम माइक्रो इण्डिया लिमिटेड,सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, जोन–तृतीय,जयपुर अपील संख्या 1779/2012 से 1783/ 2012/जयपुर के निर्णय दिनांक 10.09.2013 एवं के अनुसार Multi-functional Device पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित की गयी है। उपरोक्तानुसार उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को भी उचित बताते हुए कर बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को कर एवं ब्याज के बिन्दु पर को अस्वीकार कर, शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षीय बहस सुनी गयी। रिकार्ड का परिशीलन किया गया। विद्वान अभिभाषक ने प्रकरणों में प्रतिकरापवंचन शाखा के अधिकारियों का क्षेत्राधिकार नहीं होने का तर्क दिया, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि किसी व्यवहारी द्वारा अधिसूचित दर से

कर जमा नहीं कराया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में प्रतिकरापवंचन अधिकारियों का क्षेत्रात्रिकार आयुक्त, वाणिज्यिक कर के परिपत्र संख्या एफ.3(ए)(9)/ ज्यूरिस/टैक्स/सीसीटी/97–2 दिनांक 8.5.2001 के आलोक में निश्चित रूप से प्रभावी है। अतः उक्त आपत्ति को खारिज किया जाता है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, कर बोर्ड की समान पीठ द्वारा अपील संख्या 842 से 845/08, 663,664,726 एवं 1054/08/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2015 का अवलोकन करने के पश्चात्, हम उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत से सहमति रखते है,जिसका सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :–

"माननीय उच्चतम न्यायालय ने कस्टम टैरिफ एक्ट के तहत **M/s Xerox India Ltd. v. Commissioner of Customes, Bombay 2010 (260) ई.एल.टी. 161 (एस.सी.); (2011) 03 RGSTR-D-030** के प्रकरण में Multi-functional Machines capable of discharging number of functions में Xerox 5799 model Xerox XD 155 clf में मुख्यतः 85% पार्ट्स व कम्पोनेंट्स प्रिंटिंग से सम्बन्धित होने के कारण उसको Printer अवधारित किया है। उद्धरित आदेश में कस्टम टेरिफ एक्ट के तहत विवादित वस्तु को Heading 84.71 – 84.79 के आधार पर निर्णित किया है, जबकि अधिनियम तथा वेट अधिनियम की प्रविष्ठियां स्पष्ट है, जिन पर कस्टम टेरिफ एक्ट के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। टेरिफ एक्ट में वस्तुओं के तकनीकी नाम के आधार पर निर्धारण किया गया है। सम्बन्धित सुसंगत अंश को उद्धरित किया जाना उचित होगा :–

84.71 - Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data on to data media in coded form and machines for processing such data not elsewhere specified or included.

8471.60 - Inputs or output units whether or not containing storage units in the same housing.

84.79 - Machines and mechanical appliances having individual functions not specified or included elsewhere in this Chapter.

उक्त Heading के आधार पर माननीय न्यायालय ने Multi-functional Machine को Heading 84.71.60 of the Custom Tariff Act 1975 के तहत Printer माना है। टेरिफ एक्ट का Nomanclature बिक्री कर के तहत विशिष्ठ प्रविष्ठियों के होते हुए प्रासंगिक नहीं है।

अतिरिक्त आयुक्त द्वारा वेट अधिनियम की धारा 36 के तहत Multi-functional Digital Copier Machine को Computer Peripheral के तहत नहीं मानते हुए इसमें कम्प्यूटर से स्वतंत्र रूप से कोपिंग व फैक्स होने के कारण इस पर 12.5 प्रतिशत से

वेट अवधारित किया था, जिसकी माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) ने निर्णय **(2008) 29 एस.टी.टी. 06** के द्वारा पुष्टि की गई है। इसके अलावा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने **मैसर्स ह्यूलैट पैकर्ड इण्डिया प्रा0 लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–द्वितीय, जयपुर के प्रकरण में निर्णय (2009) 25 टैक्स अपडेट 189** में All in one Printer को भी वेट अधिनियम की अनुसूची–IV के भाग–ए की क्रम संख्या 3 को **"Computer system and peripherals, computer printers and electronic diaries"** में नहीं मानते हुए इसे Photo Copier Machine की श्रेणी में अवधारित किया है, इसमें भी विवादित वस्तु Multi-functional Printer (M.F.P.) था।

हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन वृत द्वितीय,राजस्थान,जयपुर बनाम मैसर्स जीरोक्स इण्डिया लिमिटेड, जयपुर एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन नम्बर 34/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2016 के अनुसार मल्टी फंकशनल डिवाईसेस आलोच्य अवधि में रेज्यूडरी एन्ट्री के तहत 12.5 व 14 प्रतिशत से कर योग्य नहीं है वरन् उक्त वस्तुओं पर आलोच्य अवधि में करारोपण वैट एक्ट की शेड्यूल चतुर्थ के तहत 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं ।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने मैसर्स M/s Hewlett - Packard India Sales Pvt Vs. Deputy Commissioner(Appeals)-1, Commercial Tax Department,Jaipur &anr.(SB STR No. 21/2010) के निर्णय दिनांक 19.02.2016 में उक्त मल्टी फंकशनल डिवाईस पर आलोच्य अवधि में 4 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित करते हुए उक्त सनिदर्भत निर्णय के सुसंगत अंशों का हवाला दिया है, जो निम्न प्रकार है :–

"in favour of the Assessees, this Court is satisfied that the commodity in question, namely, Multi Functional Device could not be taxed by the Assessing Authority under the Residuary Entry for the period from 01.04.2006 to 09.03.2010, and the said commodity would fall within the ambit and scope of entry relalting tc computer printers and computer peripherals, taxable @ 4% in Scheduled IV of the VAT Act."

अतः मल्टी फंकशनल डिवाईस में आलोच्य अवधि में 4 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित की जाती है। आलोच्य अवधि में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मल्टी फंकशनल डिवाईस पर 4 प्रतिशत की बजाय 12.5/ 14 प्रतिशत से कर आरोपित

करना विधिअनुकूल नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किया जाकर उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखना विधिक दृष्टि से भी स्वीकार योग्य नहीं है। अतः कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधनी आदेश को अपास्त किया जाता है। इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अतः आलोच्य अवधि में विवादित वस्तु मल्टी फंकशनल डिवाइसेस पर कर देयता 4 प्रतिशत की दर से कायम की जाती हैं

अपीलार्थी व्यवहारी ने कर योग्य विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपील में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं मानकर अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61(1) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जो उपरोक्त प्राद्धिरित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप है। अतः अधिनियम की धारा 61(1) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

फलस्वरूप उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(खेमराज)
सदस्य